न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

प्रकरण सं0 .... अनवान .... बनाम ....

Continuation Note Sheet

27-8-25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र व RTA स्वीकार योग्य नहीं।
प्रार्थना पत्र [illegible] खारिज किया जाकर निर्णय
पारित [illegible]
पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली
किया गया। पत्रावली [illegible]
[illegible] प्र. 50/25 अनवान
[illegible] दाखिल दफ्तर व अन्य [illegible]
जारी हो। [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.29 11:38:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 33/2025

जगदीश सिडाना पुत्र स्व. मिलखीराम जाति अरोडा निवासी 118 पी ब्लांक, श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. भगवानदास सिडाना पुत्र मिलखीराम जाति अरोड़ा निवासी 118 पी ब्लांक, श्रीगांगनगर
2. प्रेम पत्नी इश्वरदत जग्गा निवासी सैक्टर नम्बर 4 एफ मकान नम्बर 33 श्रीगंगानगर
3. वीना पत्नी सतीश कुमार निवासी करनपुर तहसील करनपुर जिला श्रीगंगानगर
4. पुष्पा पत्नी श्री उपेन्द्र छाबड़ा सुखड़िया सर्किल वार्ड नम्बर 36 श्रीगंगानगर
5. निहारिका पुत्री ओमप्रकाश निवासी विजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर
6. नितिन पुत्री श्री ओमप्रकाश निवासी विजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत।

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री विनोद कुमार भाटी अधिवक्ता प्रार्थी संख्या–1
2. श्री दिनेश छाबड़ा अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.29 11:38:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 27.08.2025

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि उपरोक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायलाय के समक्ष पेश किया जा चुका है जिसके स्वीकारव होने की पूरी संभावना है वाद पत्र में दर्ज तथ्य इस प्रार्थना पत्र का आधार है जिसे अभिन्न अंग मानकर पढ़ा जावे ताकि तथ्यों की पूनारावृति न हो। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के माता व अप्रार्थी संख्या 5 व 6 के नानी श्रीमती तुलसी बाई उर्फ तुलछी बाई पत्नी स्व. मिलखीराम पुत्री स्व. श्री विशनदास के नाम से वाके चक 23 एम एल के मु.न. 14 के किला नम्बर 1 ता 4 सालम प्रत्येक में 0.253 हैक्टर किला नम्बरं 5/1 में 0.2280 हैक्टर 5/2 में 0.0250 हैक्टर खाला किला नम्बर 6/1 में 0.2280 हैक्टर, किला नम्बर 6/2 में 0.0250 हैक्टर, किला नम्बर 7/1 में 0.1260 हैक्टर किला नम्बर 8 ता 14 सालम प्रत्येक में 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 15/1 में 0.2280 हैक्टर, किला नम्बर 15/2 में 0.0250 हैक्टर खाला, किला नम्बर 16/1 में 0.2280 हैक्टर, किला नम्बर 16/2 में 0.0250 हैक्टर खाला किला नम्बर 17 ता 24 सालम प्रत्येम में 0.2530 हैक्टर किला नम्बर 25/1 में 0.2280 हैक्टर, किला नम्बर 25/2 में 0.0250 हैक्टर कुल 6.198 हैक्टर कृषि भूमि नहरी आराजी दर्ज कागजात माल है जो कि संयुक्त परिवार की अविभाजित सम्पति व संयुक्त परिवार की आय से कयशुद्वा भूमि है जो कि वर्तमान वाद की विषयवस्तु है जिसे आगामी चरणों मं वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया जायेगा और वर्तमान वाद घोषणा विभाजन व शाश्वत व्यादेश हेतु वर्तमान वाद पेश किया जा रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थी के परिवार की वंशावली निम्नानुसार है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की माता के नाम से दर्ज कागजात रिकार्ड चली आ रही है, प्रार्थी की माता तुलसी बाई उर्फ तुलछी बाई पत्नी स्वर्गीय श्री मिल्खीराम का देहांत 09.01.2012 को हो चुका है प्रार्थी की माता तुलसी बाई उर्फ तुलछी बाई कि निरवसीयत मृत्यु होने के कारण वह अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 व 5 ता 6 की माता द्वारा पंच निर्णय दिनांक 24.08.1993 के अनुसार अपना हक त्याग करने के पश्चात् प्रश्नगत कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 – 1/2 हिस्सा बनता है तथा उसी अनुसार काश्त करते आ रहे है तथा आज भी प्रार्थी व अप्रार्थी का व उक्त कृषि भूमि पर विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जो विधिवत बंटवारा कर अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रश्नगत आराजी में चक 23 एम एल के मु.न. 14 के किला नम्बर 1 ता 4 सालम प्रत्येक में 0.253 हैक्टर किला नम्बरं 5/1 में 0.2280 हैक्टर 5/2 में 0.0250 हैक्टर खाला किला नम्बर 6/1 में 0.2280 हैक्टर, किला नम्बर 6/2 में 0.0250 हैक्टर, किला नम्बर 7/1 में 0.1260 हैक्टर किला नम्बर 8 ता 14 सालम प्रत्येक में 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 15/1 में 0.2280 हैक्टर, किला नम्बर 15/2 में 0.0250 हैक्टर खाला, किला नम्बर 16/1 में 0.2280 हैक्टर, किला नम्बर 16/2 में 0.0250 हैक्टर खाला किला नम्बर 17 ता 24 सालम प्रत्येम में 0.2530 हैक्टर किला नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.29 11:38:08 IST
Reason: SDMAttested

Scanned with OKEN Scanner

25/1 में 0.2280 हैक्टर, किला नम्बर 25/2 में 0.0250 हैक्टर कुल 6.198 हैक्टर कृषि भूमि आज भी प्रार्थी एव अप्रार्थीगण की माता के नाम से चली आ रही है तो मुताबिक जमाबंदी दर्ज कागजात है तथा शेष प्रश्नगत भूमि का बंटवारा पंच निर्णय दिनांक 24.08.1993 के अनुसार किया जा चुका है। पंच निर्णय के अनुसार चक 23 एम एल के मु.न. 14 प्रार्थी एव अप्रार्थीगण कि माता तुलसी बाई उर्फ तुलछी बाई व लड़कियों के खर्च के वास्ते रखा गया था अब तुलसी बाई उर्फ तुलछी बाई कि मृत्यु हो चुकी है तथा अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 द्वारा व 5 ता 6 की माता द्वारा मौखिक रूप से अपना हक अपने भाईयों के पक्ष में त्याग दिया था इसलिए उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी एव अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2–1/2 हिस्सा बनता है। पंच निर्णय के प्रति संलग्न वाद पत्र है । प्रार्थी की माता काफी वृद्व हो चुकी है तथा लम्बे समय से बीमार रहती थी तथा उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी था अपने जीवन के अंतिम क्षणों क्षणों में वह अपना भला बुरा सोचने में भी असमर्थ थी उसी का नाजायज फायदा उठाकर बिना दस्तावेज को पढाये फर्जी दस्तावेज अप्रार्थी संख्या 1 ने कोई तैयार कर रखा है तथा उसके हिसाब से वह चक 23 एम एल के मु.न. 14 के किला नम्बर 1 ता 4 सालम प्रत्येक में 0.253 हैक्टर किला नम्बरं 5/1 में 0.2280 हैक्टर 5/2 में 0.0250 हैक्टर खाला किला नम्बर 6/1 में 0.2280 हैक्टर, किला नम्बर 6/2 में 0.0250 हैक्टर, किला नम्बर 7/1 में 0. 1260 हैक्टर किला नम्बर 8 ता 14 सालम प्रत्येक में 0. 2530 हैक्टर, किला नम्बर 15/1 में 0.2280 हैक्टर, किला नम्बर 15/2 में 0. 0250 हैक्टर खाला, किला नम्बर 16/1 में 0.2280 हैक्टर, किला नम्बर 16/2 में 0.0250 हैक्टर खाला किला नम्बर 17 ता 24 सालम प्रत्येम में 0. 2530 हैक्टर किला नम्बर 25/1 में 0.2280 हैक्टर, किला नम्बर 25/2 में 0. 0250 हैक्टर कुल 6.198 हैक्टर कृषि भूमि जिस से प्रार्थी का 1/2 हिस्सा बनता है को कभी गलत दस्तावेज के आधार पर जो कृषि भूमि वर्तमान में प्रार्थी एव अप्रार्थीगण की माता के नाम से चली आ रही है को फर्जी दस्तावेज के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 अपने नाम से करवाना चाहता है उक्त कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द करना चाहता है अगर अप्रार्थी संख्या 1 उक्त कार्य में सफल हुआ तो प्रार्थी को ंना पूरा होने वाला नुकसान कारित होगा। जबकि प्रार्थी का उपर्युक्त आराजी में उनकी बहनों द्वारा मौजिक हक त्यागने व कब्जे के अनुसार 1/2 हिस्सा बनता है जिसकी खातेदारी घोषणा करवाकर भूमि का विभाजन किलावाईज अच्छी मे से अच्छी व खराब में से खराब का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कई बार कहा कि प्रश्नगत आराजी में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा बनता है उसके अनुसार खातदोरी की घोषणा करवाकर प्रार्थी का हिस्सा [illegible] रिकार्ड दर्ज करवा दो लेकिन अप्रार्थी दिनांक 20.03.2025 को स्पष्ट इंकार हो [illegible] पटवारी हल्का के पास जाकर गलत दस्तावेज के आधार पर [illegible] जाकर प्रश्नगत कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द करना चाहता [illegible] दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। उक्त कृषि [illegible] की फसल पक्क कर तैयार है, अप्रार्थी संख्या 1 उक्त कृषि भूमि को रहन–बैय व मुंतकिल करना चाहता है यदि अप्रार्थी संख्या 1 अपने इस मक्सद में कामयाब हो गया तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.29 11:38:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार के हर्जाना से नहीं हो सकेगी तथा आईदा मुक्दमा बाजी बढेगी। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक व जरूरी है। प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार की है जो कि उचित न्याय शुल्क पर पेश है । अतः स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वाके चक 23 एम एल के मु.न. 14 के किला नम्बर 1 ता 4 सालम प्रत्येक में 0.253 हैक्टर किला नम्बरं 5/1 में 0.2280 हैक्टर 5/2 में 0.0250 हैक्टर खाला किला नम्बर 6/1 में 0.2280 हैक्टर, किला नम्बर 6/2 में 0.0250 हैक्टर, किला नम्बर 7/1 में 0.1260 हैक्टर किला नम्बर 8 ता 14 सालम प्रत्येक में 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 15/1 में 0.2280 हैक्टर, किला नम्बर 15/2 में 0.0250 हैक्टर खाला, किला नम्बर 16/1 में 0.2280 हैक्टर, किला नम्बर 16/2 में 0.0250 हैक्टर खाला किला नम्बर 17 ता 24 सालम प्रत्येम में 0.2530 हैक्टर किला नम्बर 25/1 में 0.2280 हैक्टर, किला नम्बर 25/2 में 0.0250 हैक्टर कुल 6.198 हैक्टर कृषि भूमि नहरी को रहन–बैय व मुंतकिल अन्य किसी दीगर तरीके से नहीं करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे अन्य कोई आज्ञा जो न्याय संगत मुझ प्रार्थी के पक्ष में हो प्रदान की जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमे अंकित तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में अंकित तथ्य असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है। वाद के प्रस्तुत होना मात्र स्वीकार है वाद के स्वीकार होने की कतई आशा नहीं है। वाद गुणावगुण पर संधारण योग्य नहीं है इसलिये वाद पत्र में आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। मद संख्या 2 प्रार्थना पत्र में अंकित कृषि भूमि श्रीमति तुलसी बाई उर्फ श्रीमति तुलछी बाई के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होना इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि तुलसी उर्फ तुलछी बाई पुत्री श्री बिशनाराम पत्नी श्री मिलखीराम के द्वारा स्वस्थ चित से बिना किसी नशा पता जबर दबाव के रोबरू गवाहान दस्तावेज वसीयत दिनांक 29.12.2007 को सुन समझकर एवं सही होना मानकर जिला पंजीयन अधिकारी, श्रीगंगानगर के यहां बंद वसीयत प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित कर जमा करवायी गयी जो उनके देहान्त उपरान्त खुलवायी जाकर पंजीबद्ध करवायी गयी जिसके आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 प्रश्नगत आराजी का खातेदार हो चुका है। यहां यह भी अंकन करना आवश्यक होगा कि जहां जहां पंजीकृत वसीयत विधमान हो वहां उत्तराधिकारिता का प्रश्न समाप्त हो जाता है अर्थात मौजूदा वाद [illegible] नहीं है वसीयत के अस्तित्व में रहते प्रस्तुत करने का वादी [illegible] 3 प्रार्थना पत्र इसलिये प्रार्थना पत्र भी निरस्त किये जाने योग्य है [illegible] प्रार्थना पत्र में अंकित वंशावली से कोई विरोध नहीं है [illegible] होना स्वीकार है अंकित तथ्यों में माता का देहान्त दिनांक 09.01.2012 [illegible] है [illegible] माता निर्ववसीयत लेकिन यह तथ्य असत्य होने के कारण अस्वीकार है

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.29 11:38:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

फौत हुई वरन् तुलसी उर्फ तुलछी बाई पुत्री श्री बिशनाराम पत्नी श्री मिलखीराम के द्वारा स्वस्थ चित से बिना किसी नशा पता जबर दबाव के रोबरू गवाहान दस्तावेज वसीयत दिनांक 29.12.2007 को सुन समझकर एवं सही होना मानकर जिला पंजीयन अधिकारी, अधिकारी, श्रीगंगानगर के यहां बंद वसीयत प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित कर जमा करवायी गयी जो उनके देहान्त उपरान्त खुलवायी जाकर पंजीबद्ध करवायी गयी जिसके आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 प्रश्नगत आराजी का खातेदार हो चुका है। अन्य अप्रार्थीगण के द्वारा कथित रूप से हक त्याग करना एवं आधा हिस्सा का वादी खातेदार होना अस्वीकार है। वादी का आधा हिस्सा पर कब्जा होना अस्वीकार है एवं वादी बंटवारा करवा पाने का कतई अधिकारी नहीं है। मद संख्या 5 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों में प्रश्नगत आराजी माता के नाम से दर्ज होना इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि माता की एकमात्र पंजीकृत वसीयत के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 प्रश्नगत आराजी का खातेदार हो चुका है तथा जहां तक पंच निर्णय होना, अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 एवं 5 ता 6 की माता के द्वारा अपना अपना कथित हिस्सा परित्याग करने के तथ्य अंकन किये गये है, तो गलत ब्यानी होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी का आधा हिस्सा होना अस्वीकार है। सही तथ्य यह है कि स्वीकृत रूप से प्रार्थी/वादी के द्वारा पंच निर्णय दिनांक 24.08.1993 के आधार पर सिविल प्रकीर्ण प्रकरण संख्या 122/2016 अनवान जगदीश बनाम भगवान दास वगैरा माननीय जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रस्तुत किया था जो माननीय जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के द्वारा विस्तृत विचारण एवं विस्तृत निर्णय दिनांक 08.01.2025 के द्वारा प्रार्थी/वादी का वाद निरस्त कर दिया। प्रार्थी/वादी के द्वारा जानबूझकर इस तथ्य को न्यायालय से छुपाया है एवं वेग शपथ पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है। चूंकि पंच निर्णय को वाद का आधार बनाया है एंव पंच निर्णय के आधार पर दीवानी प्रकरण प्रार्थी/वादी के खिलाफ निर्णित हो चुका है तो ऐसी स्थिती में विवाद बिन्दु पूर्व में ही सक्षम दीवानी न्यायालय के द्वारा निस्तारित किये जाने के कारण हस्तगत वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद हेतूक प्रार्थी/वादी को प्राप्त ना होने के कारण वाद वादी सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है तथा जहां वाद गुणावगुण पर संधारण योग्य ना हो वहां अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी अस्वीकार किये जाने योग्य है। मद संख्या 6 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है। इस मद में अंकित तथ्यों के पीछे प्रार्थी/वादी की भावना को अंकित करना आवश्यक है कि प्रार्थी/वादी को पंजीकृत वसीयत का बाखूबी ज्ञान है एवं पंजीकृत वसीयत के संदर्भित वाद महज दीवानी न्यायालय ही सुन सकती है इसके अलावा वसीयत सन् 2007 की है एवं देहान्त सन् 2012 में हुआ है ऐसी स्थिती में पंजीकृत वसीयत की जानकारी होने के बावजूद वेग तथ्यों पर राजस्व [illegible] में वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि कानूनन जहां पंजीकृत वसीयत [illegible] वहां उत्तराधिकारिता का प्रश्न समाप्त हो जाता है एवं वाद [illegible] न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकारिता का ना होने के कारण प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किये जाने योग्य हैं। मद संख्या 7 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य असत्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.29 11:38:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है। मद संख्या 8 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला होना अथवा सुविधा का संतुलन होना अस्वीकार है। अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 पंजीकृत वसीयत के आधार पर खातेदार है एवं अपनी खातेदारी तथा कब्जा काश्त की भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का विधिक अधिकारी है जिसके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है इसलिये प्रार्थी को कोई क्षति ना होने के फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी सव्यय निरस्त फरमाया जावे। अतिरिक्त कथन– प्रार्थी/वादी माननीय न्यायालय के समक्ष क्लीन हैन्ड से नही आया है एवं सही तथ्यों को छुपाया है इसलिये कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी/वादी ने माननीय जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के द्वारा पंच निर्णय के विरूद्ध वाद निरस्त करने के अहम तथ्य को माननीय न्यायालय से छुपाकर एकपक्षीय स्थगन आदेश हासिल किया है जबकि माननीय जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के निर्णय की अनुपालना में प्रार्थी/वादी वाद प्रस्तुत करने का ही अधिकारी ना होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी/वादी वांछित अनुतोष प्राप्त करने का कतई अधिकारी नहीं है लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सव्यय निरस्त फरमाया जावे एवं पूर्व जारी एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त फरामायी जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए कि प्रार्थी की ओर से वाद धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसमें अंकित तथ्यों का निस्तारण वाद में बाद साक्ष्य होना है चूंकि माता की ओर से कोई वसीयत अप्रार्थी के पक्ष में नहीं की गयी एवं वसीयत प्रथम दृष्टया संदिग्ध है ऐसी स्थिती में उनका प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है एवं न्यायालय का दायित्व पारिवारिक विवाद में सम्पति की सुरक्षा करने का है इसलिये वाद के अन्तिम निस्तारण तक पूर्व पारित अस्थायी निषेधाज्ञा को स्थायी किया जाना न्यायोचित है अन्यथा प्रार्थी को क्षति होगी क्योंकि अप्रार्थी नामान्तरण करवाकर भूमि का बेचान कर देगा। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर स्थगन मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक कन्फर्म किया जावे। **अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि** हस्तगत प्रार्थना पत्र को निर्णित करने के लिए न्यायालय को केवल तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु को देखना है एवं इन तीन बिन्दुओं में से यदि एक भी बिन्दु प्रमाणित नहीं होता है तो अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थी जिस आधार पर अपने आप को आधा हिस्सा की भूमि का खातेदार घोषित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.29 11:18:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

जाना कथन करके आया है एवं अनुतोष चाह रहा है उस पंच निर्णय को प्रार्थी की ओर से रूल ऑफ दी कोर्ट बनाने के लिए जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था जो कि वाद माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है एवं पंजीकृत वसीयत की प्रत्यक्ष रूप से जानकारी होने के बावजूद राजस्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। इसलिये प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस नहीं बनता है एवं ना हीं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। चूंकि प्रार्थी का मौजूदा वाद में आधार पंच निर्णय है जिसे जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के द्वारा निरस्त किया जा चुका है इसलिये प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नहीं है। उपरोक्त आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए. खारिज किया जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विधिक स्थिती इस संदर्भ में स्पष्ट है कि अस्थायी निषेधाज्ञा की प्राप्ति हेतु प्रार्थी को अपना प्रथम दृष्टया केस होना, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना एवं अस्थायी निषेधाज्ञा जारी ना होने की स्थिती में अपूर्णीय क्षति होना प्रमाणित करना होता है। इस प्रकरण में यह स्थिती प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं वाद पत्र के अभिवचनों से स्पष्ट एवं स्वीकृत है कि प्रार्थी के द्वारा वाद विवादित भूमि 6.198 है. के संदर्भ में माता तुलसीबाई के द्वारा किये गये पंच निर्णय दिनांक 24.08.1993 को आधार बनाकर एवं बहिनों द्वारा अपना अपना हक त्याग करने को आधार बनाकर स्वयं को आधा हिस्सा का खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहकर एवं प्रत्यक्ष रूप से माता की ओर से अप्रार्थी के हक में विवादित भूमि का दस्तावेज होना स्वीकार करते हुए धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि को रहन, बैय, अन्तरण नहीं करने एवं मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिती बनाये रखने का अनुतोष चाहा है। इसी संदर्भ में पत्रावली को अवलोकन करने से एवं प्रार्थी की स्वीकारोक्ति से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि माननीय जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के द्वारा अपने समक्ष विचारित वाद संख्या 122/2016 अनवान जगदीश बनाम भगवान दास वगैरा में दिनांक 08.01.2025 को निर्णय पारित करते हुए पंचाट दिनांक 24.08.1993 को न्यायालय का नियम ना बनना होना पाने पर एवं प्रार्थी शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी ना होना मानकर दीवानी वाद निरस्त किया है तथा प्रार्थी अपने अभिवचनों में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में कोई दस्तावेज होना कथन करता है जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अपने नाम से नामान्तरण करवाने की संभावना जाहिर करता है लेकिन प्रार्थी के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह दस्तावेज क्या है। दस्तावेजी साक्ष्यों यह तथ्य स्पष्ट है कि [illegible] भूमि का अन्तरण वसीयत से ही हो सकता है क्योंकि [illegible] कोई पंजीकृत दस्तावेज होता तो माता के जीवनकाल में ही उसका नामान्तरण हो जाता।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.29 11:38:08 IST
Reason: SelfAttested

Gautam
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अभिवाद के तथ्यों की जानकारी होना प्रमाणित है जिसे चुनौती नहीं दी गयी है। प्रथम दृष्टया मामला को न्यायिक दृष्टान्तों में परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य विचारण योग्य मामला होना है। हस्तगत प्रकरण में जब प्रार्थी का दीवानी प्रकरण माननीय जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के द्वारा निरस्त किया जाकर पंचाट दिनांक 24.08.1993 को नहीं माना है तो ऐसी स्थिति में उक्त पंचाट को आधार बनाकर प्रार्थी प्रथम दृष्टया अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी होना प्रतीत नहीं होता है। पंचाट के संदर्भ में माननीय जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के समक्ष विचारित हुए वाद के तथ्यों को छुपाकर हस्तगत प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष जाहिर तौर से प्रमाणित करता है कि प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है इसलिये प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस बनना नहीं पाया जाता है। जहां तक सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का प्रश्न है तो प्रत्यक्ष तौर से माननीय जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर से प्रार्थी का वाद निरस्त होने पर एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विवादित भूमि की तस्दीक होने पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन भी नहीं पाया जाता है। भूमि का नामान्तरण होने की स्थिति में प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति भी होना नहीं पायी जाती है क्योंकि नामान्तरण फिसकल प्रोसिडिंग है जिससे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है एवं प्रार्थी यदि दस्तावेज से व्यथित है तो वह दस्तावेज के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपनी कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है। प्रार्थी के पक्ष में आज्ञापक तीनो बिन्दु प्रमाणित ना होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है पूर्व पारित एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता संलग्न मूल वाद मुकदमा संख्या 50/2025 बउनवान जगदीश सिडाना बनाम भगवान दास सिडाना व अन्य रहे।

आदेश आज दिनांक 27.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नयन गौतम, आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
श्रीगंगानगर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.29 11:38:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner